



निगा/2434/II/15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर, कैम्प रोवा, म०प्र०



विष्णु प्रसाद तनय राम प्रसाद निवासी ग्राम सुरैठा, तहसील हनुमना, जिला रोवा, म०प्र० -

---- निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती कमला देवी पत्नी इन्द्रमणि प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम सुरैठा, तहसील हनुमना, जिलारोवा, म०प्र० -

---- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय क्लेक्टर जिला रोवा कृ.प्र.कृ. 78/अ-19/निग./10-11 आदेश दिनांक 12.8.13 को निरस्त किये जाने।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

Handwritten signature and date: 22/8/15



मान्यवर,

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य

=====

यह कि अनावैदिका कमला देवी द्वारा तहसीलदार तहसील हनुमना, जिला रोवा के समक्ष शासकीय भूमि खसरा क्र० 34 रकबा 2.07 एकड़ का म०प्र० कृषि प्रयोजन के लिये भूमिहीन का आधार लेते हुये दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार विशेष उपबंध के तहत आवेदन पत्र भूमिस्वामी घोषित किये जाने का प्रस्तुत किया गया, जिसमे तहसीलदार हनुमना द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 110/अ-19/87-88 पारित आदेश दिनांक 17.12.87 को अनावैदिका के

Handwritten notes: R. 22, 815 अ, 22/8-15

Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(74)

अयुक्त आदेश प्रश्न

प्रकरण क्रमांक R/2734/2015, शीवा

विष्णू प्रसाद/कमला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01-11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>धर्मन्दी चतुर्वेदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>शीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>78/अ-19/निग/10-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>12/08/13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>शीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18-4-19</u> को संभागीय आयुक्त <u>शीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	

(Handwritten signature/initials)